न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण

पीठासीन अधिकारी : **श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)**

राजस्व वाद संख्या : **577/2016**

वादी :-

1. गुणाराम पुत्र दीपाराम
जाति-सीरवी निवासी बेरा समदड़ा
ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादी

1. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.16/12/2016**

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 07/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-झांझनवास, पटवार हल्का-पाटवा, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 04 रकबा 222-04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 03 रकबा 0-15 बीघा किस्म गै.मु. बेरा में वादी की खरीदसुदा भूमि आई हुई है। जिसमें वादी बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है, वादी के पिता दीपाराम के जीवन काल में वादी द्वारा खरीद की गई थी। तब वादी स्वयं व उसके बड़े भाई नैनाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में माफिक खरीद के दर्ज हुई थी जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस वादपत्र के साथ पेश है। उक्त भूमि को आगे वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जाएगा। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता दीपाराम के जीवन काल में खरीद की गई थी तब वक्त खरीदी के वादी के घर के बोलते नाम गणेशराम के नाम की प्रविष्टियां कर दी गई थी। जबकि वादी का वास्तविक नाम गुणाराम है। इसके बाबत् विधालय रेकर्ड, राशनकार्ड, चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि की प्रतियां भी इस वाद पत्र के साथ पेश है। वादी के सही नाम गुणाराम पुत्र दीपाराम है जबकि बेचाननामा में वादी के बोलते नाम गणेशराम पुत्र दीपाराम का नाम दर्ज हो गया है। उसी माफिक राजस्व रेकर्ड में चालू जमाबंदी में नाम दर्ज है। उक्त नाम होने की वजह से वादी को भारी परेशानी हो रही है। वादी अपना किसान साख पत्र भी नहीं बनवा पा रहा है एवं अन्य सभी जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वादी ने उक्त नामों की दुरूस्ती कराने हेतु हल्का पटवारी पाटवा व तहसीलदार से भी कई बार निवेदन किया लेकिन उन्होने ऐसी दुरूस्त कराने से मना कर दिया एवं न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु दिनांक 05/12/2016 को कथन किया है। तब इन परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है जिनके विरूद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Scanned by CamScanner

आवश्यक है। इस प्रकरण में हल्का पटवारी ने दिनांक 05/12/2016 को रेकर्ड दुरूस्ती करने से इंकार करने पर वादी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जिस पर वादी का यह वादपत्र अतिशीघ्र पेश करना आवश्यक हो गया है। वादी का वादपत्र भी आवश्यक प्रकृति का है इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र अनुमति लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। बिनाय वाद दिनांक 05/12/2016 को हल्का पटवारी पाटवा द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती कराने का कहने पर वादी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की व इस बाबत् न्यायालय में वाद पेश करने का कहने पर बमुकाम झांझनवास पटवार हल्का पाटवा तहसील जैतारण में पैदा हुआ है जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

इस प्रकार वाद-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज गणेशराम के स्थान पर वास्तविक नाम गुणाराम पुत्र दीपाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। सरकारी पैरोकार अपना जबाबदावा पेश करने का समय चाहा गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-पाटवा में पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मजमा-ए-आम में पटवारी हल्का मय तहसीलदार जैतारण से वस्तुस्थिति की फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की। फर्द मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मजमें-ए-आम में जांच करने पर बताया कि वादी गुणाराम के राजस्व ग्राम-झाझनवास के खसरा नम्बर 04 रकबा 222-04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 03 रकबा 0-15 बीघा किस्म गै.मु. बेरा में शामलाती कृषि भूमि दर्ज रेकर्ड हैं। जिसमें वादी का नाम गणेशराम पुत्र दीपाराम कौम-सीरवी दर्ज हैं। उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि वादी का सही एवं वास्तविक नाम गुणाराम पुत्र दीपाराम हैं। सभी साक्ष्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम गुणाराम पुत्र दीपाराम दर्ज हैं। जबकि राजस्व रेकर्ड में गणेशराम पुत्र दीपाराम दर्ज हैं। उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि गुणाराम पुत्र दीपाराम तथा गणेशराम पुत्र दीपाराम एक ही व्यक्ति के नाम हैं। गणेशराम पुत्र दीपाराम का अन्य कोई व्यक्ति इस गांव में निवासी नहीं करता हैं। वादी का नाम गणेशराम पुत्र दीपाराम के बजाय गुणाराम पुत्र दीपाराम दर्ज किया जाना उचित हैं। फर्द मौका रिपोर्ट सा0मि0 हो।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा-ए-आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। तथापि गणेशराम पुत्र दीपाराम एवं गुणाराम पुत्र दीपाराम एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया। वस्तुतः वाद-पत्र के साथ साक्ष्य सबूत में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहिचान पत्र संख्या RJ/21/159/042068 दिनांक 31/03/1995, राशन कार्ड संख्या 009039400238, एवं आधार कार्ड संख्या 476063761489 की छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे प्रार्थी का सही नाम गुणाराम ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से गणेशराम पुत्र दीपाराम दर्ज नाम के स्थान पर गुणाराम पुत्र दीपाराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फ़ास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–झांझनवास, पटवार हल्का–पाट्वा, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 04 रकबा 222–04 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 03 रकबा 0–15 बीघा किस्म गै.मु. बेरा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम गणेशराम पुत्र दीपाराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम गुणाराम पुत्र दीपाराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

07/06/18

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

निर्णय आज दिनॉक 07/06/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र–पाट्वा में सुनाया गया।

07/06/18

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Scanned by CamScanner